(18)

निगरानी 1622-J-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

1– बेटू पटेल पुत्र श्री रामनाथ कुर्मी
2– प्यारे लाल पुत्र श्री रामनाथ कुर्मी
दोनो निवासीगण– ग्राम दशरथ पुरवा तहसील चंदला जिला–छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती सुदामा पुत्री सरजू पटेल निवासी ग्राम दशरथ पुरवा तहसील चंदला जिला–छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.05.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, आराजी खसरा क्रमांक 487/1/1/1, 424/2/2, 485 कुल किता 3 कुल रकवा क्रमशः 0.203, 0.075, 0.186 हैक्ट्यर कुल रकवा 0.484 है0 एवं खसरा नं. 369/1, 109, 439, 475, 388, 486 कुल किता 6 कुल रकवा 3.531 है0, स्थित मौजा सिमरिया की भूमि मृतक सरजू पिता रामनाथ पटेल का 1/5 हिस्सा है। उक्त भूमि मृतक भूमि स्वामी सरजू के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की रही है।
2. यहकि, मृतक भूमि स्वामी सरजू पटेल पिता रामनाथ पटेल की कोई पुत्र संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 19.11.2013 को आवेदकगण के हित में विधिवत् रूप से सम्पादित किया था। जिसके आधार पर तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जो प्रकरण क्रमांक 11/अ–6/2013–14 पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 13.05.2015 से नामान्तरण आदेश पारित किया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1622-एक/2016 जिला - छतरपुर बेटू पटेल विरूद्ध श्रीमती सुदामा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक बेटू पटेल की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के प्रकरण क्रमांक 57/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-05-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-06-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

1/2

19.12.18

2/2	है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 19.12.18 सदस्य	